बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
<u>आदेश</u>

आदेश संख्या– 11/मु0–01–01/2013 पटना, दिनांक–

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग गया परिक्षेत्राधीन जल पथ प्रमंडल, जहानाबाद के अधीन मांग एवं सोलहण्डा वीयर निर्माण कार्य के लिए मेसर्स मदर इंडिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा निविदा किया गया। उक्त कार्य के निविदा के तकनीकी बीड में संलग्न किए गये अनुभव प्रमाण–पत्रों यथा पत्रांक– 206 दिनांक 30.09.10 एवं पत्रांक–93/10 दिनांक–09.09.2010 की जॉच मुख्य अभियंता, गया द्वारा अपने पत्रांक 32 दिनांक 10.01.12 से बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्टिक पावर कॉरपोरेशन से कराया गया। मुख्य अभियंता, बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्टिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा अपने पत्रांक 178 दिनांक 25.01.12 से कार्यपालक अभियंता(असैनिक) एवं सहायक प्रबंधक(लेखा) से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसमें उनके द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों पर अपना हस्ताक्षर नहीं होने की सूचना दी गई थी, की प्रति उपलब्ध कराई गई । इस आधार पर मे0 मदर इंडिया क0 प्रा0 लि0 को काली सूची में डाले जाने हेतु विभागीय पत्रांक 8515 दिनांक 06.12.12 से स्पष्टीकरण पूछा गया। उनसे निश्चित समय सीमा के अंतर्गत्त संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नही होने पर संवेदक के निबन्धन संख्या 25/2011 (प्रथम श्रेणी) को विभागीय आदेश ज्ञापांक–301 दिनांक 22.01.2013 के द्वारा काली सूची में डाला गया था। उक्त कालीकरण आदेश को रद्द करने हेतु संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या– 442/2013 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.08.2013 को आदेश पारित किया गया, जिसका oprative portion निम्नवत है:–

" Regard being had to the provisions contained in the Niyamawali providing appeal against such order of blacklisting this Court, without delving into the submissions and counter submissions made by the petitioner and the respondents respectively, would permit the petitioner to file appeal against the order blacklisting the petitioner as contained in Annexure-19 before the Appellate Authority i.e. the Principal Secretary to the Government in the Department of Water Resources within three weeks. If any such appeal is filed within the aforesaid time, the Appellate Authority shall consider the same on its own merit. It will be open to the Appellate Authority to grant personal hearing to the petitioner if a repuest is made in this regard by the petitioner. The Appellate Authority shall dispose of the appeal within a period of six weeks from the date of filing thereof before the said respondent/authority. In the event of not disposing of the appeal within the time aforesaid, the effect of the order blacklisting the petitioner shall efface until passing of the order by the Appellate Authority in the light of the present order"

उक्त न्याय निर्णण के आलोक में मे0 मदर इंडिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 के निदेशक द्वारा दिनांक 22.08.13 को अपील अभ्यावेदन अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर किया गया। अपील अभ्यावेदन पर दिनांक 17.09.13 एवं पुनः

कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्रों क्रमशः पत्रांक 206 दिनांक 30.09.10 एवं पत्रांक 93/10 दिनांक 09.09.2010 की निर्गत होने की सम्पुष्टि बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन से कराने का निर्णय लिया गया। जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक 6163 दिनांक 02.12.13 द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट हाइड्रोइलक्टिक पावर कॉरपोरेशन, पटना से उक्त कार्यानुभव प्रमाण पत्रों की सम्पुष्टि हेतु अनुरोध किया गया तथा विभागीय पत्रांक 149 दिनांक 13.01.14 एवं पत्रांक 1902 दिनांक 09.05.14 के द्वारा उन्हें स्मारित भी किया गया।

उक्त संदर्भ में प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, पटना के पत्रांक 1445 दिनांक 03.11.14 द्वारा उक्त दोनों प्रमाण पत्र मदर इंडिया कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 को निर्गत होने की पुष्टि की गयी साथ ही उन दोनों प्रमाण पत्रों पर संबंधित पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाने संबंधी पूर्व के प्रतिवेदन को भी दोहराया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से विदित होता है कि निर्गत करने वाले पदाधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि उनके द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत नही किया गया है तो यह स्पष्ट है कि उनका हस्ताक्षर जाली है भले ही यह वहाँ की निर्गत पंजी में अंकित है। इसके आलोक में संवेदक के अपील अभ्यावेदन दिनांक 22.08.13 को अस्वीकृत किया जाता है तथा अभियंता प्रमुख(मध्य)जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के हस्ताक्षर से निर्गत कालीकरण आदेश ज्ञापांक 301 दिनांक 22.01.13 को यथावत रखा जाता है।

ह0/
सचिव
जल संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— दिनांक—

प्रतिलिपिः— श्री चन्द्रसेन सिंह, निदेशक, मदर इंडिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, मु0— रोड सं0—3, संजय गाँधी नगर, कंकड़बाग, पटना 800020 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/
सचिव
जल संसाधन विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक— 6301 दिनांक— 11·12·14

प्रतिलिपिः—प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग/ सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संधन विभाग/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोने0 अंचल—2,3,4 एवं बाढ़ मोने0/आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना को वेबसाईट पर डालने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव
जल संसाधन विभाग
बिहार, पटना

आई0टी0 मैनेजर